भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 954

दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)

954. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव :

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

डॉ. सुजयद राधाकृष्ण विखे पाटील:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) के शुरू होने के बाद से इसके अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच हेतु परामर्श और मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी स्वास्थ्य और पुलिसकर्मियों के कौशल उन्नयन के लिए क्या योजना, यदि कोई हो, है;

(ग) क्या एसएजी उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है जिसके लिए इसे शुरू किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के शुरू होने के बाद से सरकार द्वारा इसके लिए कुल कितनी राशि जारी की गई है और इस पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ): किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) को संशोधित किया गया है और इसे दिनांक 01.04.2022 से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत मिला दिया गया है। इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थी, आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां हैं। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।

इस योजना में दो घटक शामिल हैं, अर्थात् पोषण और गैर-पोषण। पोषण घटक के तहत, एक वर्ष में अधिकतम 300 दिनों के लिए टेक होम राशन (टीएचआर) के रूप में 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। गैर-पोषण घटक विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभिसरण पर आधारित है जिसमें आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान किए जाते हैं।

इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से आज की तारीख तक 27.21 करोड़ रुपये का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 177.90 करोड़ रुपए की धन राशि जारी की गई है।

अनुलग्नक-1

'किशोरियों के लिए योजना' के संबंध में डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव और अन्य द्वारा 08.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा **अतारांकित प्रश्न संख्या** 954 के भाग (क) में संदर्भित विवरण

किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	* **लाभार्थियों की संख्या (2023-24)**
1	आंध्र प्रदेश	14736
2	अरुणाचल प्रदेश	14848
3	असम	159891
4	बिहार	258944
5	छत्तीसगढ़	128976
6	गुजरात	78207
7	हरियाणा	18545
8	हिमाचल प्रदेश	17165
9	जम्मू एवं काश्मीर	20157
10	झारखण्ड	261919
11	कर्नाटक	1686
12	केरल	19352
13	मध्यप्रदेश	154954
14	महाराष्ट्र	119365
15	मणिपुर	52641
16	मेघालय	57187
17	मिजोरम	23552
18	नागालैंड	27347
19	ओड़िसा	298346
20	पंजाब	30265
21	राजस्थान	46833
22	सिक्किम	9462
23	तमिलनाडु	40777
24	तेलंगाना	35330
25	त्रिपुरा	35552
26	उत्तर प्रदेश	267262
27	उतराखंड	77196
	कुल	**2270495**

*नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार पोषण ट्रैकर के आंकड़े